प्रकरण संख्या 11/2020 श्रीमती मथुरी व अन्य बनाम श्रीमती गलबी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.09.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188, 92–ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया के पिता स्वर्गीय मडिया पिता कालिया भील के स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी की आराजी नंबर 2168, 2184, 2186, 2188, 2191, 2196, 2205, 2206, 3851/2165 कुल खेत 9 रकबा 16 बीघा 6 बिस्वा थे, जिसके हाल आराजी नंबर 1610, 1624, 1626, 1630, 1628, 1629, 3298, 3299, 3297, 3309, 3310, 1586, 1589, 1588 बने जो वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित हैं। स्वर्गीय मडिया के वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 कालिया वारिस हैं। स्वर्गीय मडिया की मृत्यु दिनांक 04.08.2012 को हुई है, किन्तु मडिया की मृत्यु हुए बिना ही नामान्तरकरण संख्या 551 दिनांक 21.05.1971 खोला गया, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 को नाबालिक के रूप में तथा मेरा नाम कालिया के वली के रूप में लिख दिया गया और बाद में जानूबझकर मेरा नाम उक्त खाते से हटा दिया गया। प्रतिवादी संख्या 2 के पति मानसिंह पूर्व में हमारे पटवार हल्का के पटवारी थे, उन्होंने षड़यंत्र पूर्वक प्रतिवादी संख्या 1 की कम उम्र का फायदा उठाकर बेईमानी पूर्वक मेरा नाम खाते से हटा दिया तथा बाद में उक्त आराजियात में से खसरा नंबर 2196 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 2205 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा एवं खसरा नंबर 2206 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा का पंजीयन अपनी पत्नी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम करवा दिया तथा इसके बाद प्रतिवादी संख्या 2 ने अनाधिकृत रूप से खसरा नंबर 162 रकबा 15 बिस्वा एवं खसरा नंबर 3851/2165 रकबा 18 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 4 को तथा खसरा नंबर 2186 रकबा 19 बिस्वा एवं खसरा नंबर 2191 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 3 को तथा खसरा नंबर 2184 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा जिसके नये नंबर 1610 रकबा 0.18 हैक्टर एवं आराजी नंबर 1624 रकबा 0.21 हैक्टर का विक्रय प्रतिवादी संख्या 5 को कर दिया तथा आराजी नंबर 3310 में से नवीन नंबर 3938/3310 रकबा 0.15 हैक्टर जरिये नामान्तरकरण संख्या 842 दिनांक 05.04.2017 प्रतिवादी संख्या 6 को विक्रय कर दिया, जबकि मेरे पिता की मृत्यु दिनांक 04.08.2012 को हुई, स्वर्गीय मड़िया के जीवित अवस्था में ही कालिया के [illegible] विक्रय द्वारा नामान्तरकरण खोले गये, जो सभी अवैध होकर निरस्त योग्य हैं।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:09:32 IST
Reason: SelfAttested

वादीया का वाद स्वीकार कर वादिया को विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया जावे तथा अनाधिकृत रूप से खोले गये नामान्तरकरण संख्या 1104, 357, 572, 167, 1079, 842 निरस्त किये जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.02.2020 को निर्णय पारित करते हुए वादीया का वाद स्वीकार कर 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 08.10.2020 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री यशपाल गुप्ता उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार गांधी उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण जाति से भील होकर गुजरात में मजदूरी करते हैं, जिससे वह अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सके। निर्णय व डिक्री की जानकारी होने पर नकल प्राप्त की तथा बाद में कोविड–19 के कारण अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। जानबूझकर विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपील करीब 8 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं देरी का जो कारण अपीलान्टगण ने बताया है वह उचित एवं पर्याप्त कारण नहीं है। अतः अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। दिनांक 10.02.2020 के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 08.10.2020 को प्रस्तुत की गयी है, जबकि अपील की समयावधि 60 दिवस होकर अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 10.04.2020 तक प्रस्तुत हो जाना चाहिए थी, किन्तु प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि अपीलान्टगण के अधिवक्ता द्वारा नो इन्ट्रक्शन प्लीड कर दिया गया था, जिसकी कोई सूचना अपीलान्टगण को दिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:09:31 IST
Reason: SelfAttested

जाने की कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। अतः प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्टगण के अभिभाषक द्वारा दिनांक 20.08.2019 को No instruction किया गया, जिसकी कोई सूचना अपीलान्टगण को नहीं दी गयी, जिससे अपीलान्टगण दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। अपीलान्टगण ने आराजी नंबर 2196, 2205 व 2206 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है, जिसकी प्रविष्टि राजस्व अभिलेखों में की गयी है। पंजीकृत विक्रय पत्र को जब तक सिविल न्यायालय ने निरस्त नहीं करवा लिया जाता तब तक वाद राजस्व न्यायालय में नहीं चल सकता, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRD 2020 Page 158, RRT 2004 (2) Page 970, RRT 2005 (2) Page 784, RRD 1994 Page 742 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि रेस्पोन्डेन्टगण विवादित आराजियात के खातेदार मडिया के पुत्र व पुत्री होने से अधिनस्थ न्यायालय ने उन्हें 1/2, 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधिवक्ता द्वारा दिनांक 13.06.2019 No instruction प्लीड किया गया, जबकि दिनांक 13.06.2019 की आदेशिका में पीठासीन अधिकारी राजकीय अन्य कार्यों में व्यस्त होना लिखा गया है। दिनांक 20.08.2019 की आदेशिका में No instruction का अंकन किया गया है तथा पत्रावली वास्ते प्रतिवादीगण की तलबी हेतु दिनांक 09.10.2019 को पेश होना लिखा गया है, परन्तु इसके पश्चात् किसी भी आदेशिका में यह जाहिर नहीं आया है कि प्रतिवादीगण के सम्मन भिजवाये गये अथवा नहीं तथा उनकी तामिल हुई अथवा नहीं, जिससे यह प्रतीत होता है कि अपीलान्टगण को सुना ही नहीं गया है तथा No instruction प्लीड की कोई सूचना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:09:31 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी के अधिवक्ता अथवा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण को नहीं दी गयी है, जबकि अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर RRT 2005 (2) Page 784 अनुसार अधिवक्ता के No instruction प्लीड करने पर पक्षकार को नोटिस जारी किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि पक्षकारान भील जाति से होकर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं तथा अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर RRD 2020 Page 158 अनुसार अनुसूचित जनजाति पर पुराने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होते हैं, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होता है। प्रकरण में यह भी सुस्पष्ट है कि विवादित आराजियात का रजिस्टर्ड विक्रय अपीलान्टगण के पक्ष में किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर RRT 2004 (2) Page 970 अनुसार रजिस्टर्ड विक्रय विलेख को निरस्त करने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को प्राप्त है। वाद पत्र के अवलोकन से यह तथ्य भी सामने आया है कि वादिया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पिता मडिया की मृत्यु दिनांक 04.08.2012 को हुई है, जबकि मडिया की मृत्यु हुए बिना ही नामान्तरकरण संख्या 551 दिनांक 12.05.1971 को स्वीकृत हुआ है। ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण संख्या 551 दिनांक 12.05.1971 प्रथम दृष्टया संदेहास्पद प्रकट होता है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त बिन्दुओं पर कोई विवेचन नहीं किया गया है तथा अपीलान्टगण को बिना सुने एकपक्षीय निर्णय पारित कर डिक्री जारी कर दी है, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 11/2020 निर्णय एवं डिक्री 10.02.2020 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये विवेचन अनुसार प्रकरण में अपीलान्टगण को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 25.11.2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 30.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:09:31 IST
Reason: SelfAttested

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:09:31 IST
Reason: SelfAttested